

कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ आदेश ॥

क्रमांक 1352 /A/दो-11-12/06

बड़वानी, दिनांक 16/10/2024

प्रशासकीय कार्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुवे इस स्थापना पर पदस्थ निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण का आगामी आदेश होने तक अस्थायी रूप से निम्नानुसार स्थानांतरण किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापना	स्थानांतरण पश्चात् पद एवं पदस्थापना	रिमार्क
01	श्री गंभीर सिंह जामोद, सहायक ग्रेड-3	सेल अमीन, नजारत अनुभाग बड़वानी	डिजीटाईजेशन के अंतर्गत प्रकरणों का इंडेक्सिंग कार्य	श्री रवि शर्मा के स्थान पर
02	श्री रवि शर्मा, सहायक ग्रेड-3	डिजीटाईजेशन के अंतर्गत प्रकरणों का इंडेक्सिंग कार्य	साक्ष्य लेखक, प्र.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, खेतिया के अति. न्यायाधीश, खेतिया (श्री धर्मवीरसिंह राठौर)	श्री संतोष तिवारी के स्थान पर
03	श्री संतोष तिवारी, सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक, प्र.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, खेतिया के अति. न्यायाधीश, खेतिया (श्री धर्मवीरसिंह राठौर)	रीडर/प्रवर्तन लिपिक प्र.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, खेतिया के अति. न्यायाधीश, खेतिया (श्री धर्मवीरसिंह राठौर)	-
04	श्रीमती कविता कश्यप, सहायक ग्रेड-2	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय बड़वानी अटैच (श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव)	सेल अमीन, नजारत अनुभाग, बड़वानी	श्री गंभीरसिंह जामोद के स्थान पर
05	श्री श्रीराम चौहान आदेशिका वाहक	आदेशिका वाहक अटैच, नजारत अनुभाग राजपुर	बोर्ड प्युन प्र.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, खेतिया के अति. न्यायाधीश, खेतिया (श्री धर्मवीरसिंह राठौर)	-

टीप - श्री प्रकाश भोईटे, सहायक ग्रेड-3, न्यायालय खेतिया, अपने पद के कार्य के साथ-साथ प्रतिलिपि अनुभाग, खेतिया का कार्य भी संपादित करेंगे एवं श्री संतोष तिवारी, सहायक ग्रेड-3, श्री प्रकाश भोईटे को प्रतिलिपि अनुभाग के कार्य में सहयोग करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


sd/—
(महेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बड़वानी म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 2757 /A/दो-11-12/06

बड़वानी, दिनांक 16 /10/2024

प्रतिलिपि :- आदेशानुसार ।

- (1) प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग / प्रतिलिपि / अभिलेखागार अनुभाग, बड़वानी / राजपुर / खेतिया ।
- (2) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया के अति. न्यायाधीश, खेतिया ।
- (3) लेखापाल / वेतन लिपिक, जिला न्यायालय बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (4) संबंधित कर्मचारी श्री.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


प्रशासनिक अधिकारी

कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बड़वानी म.प्र.